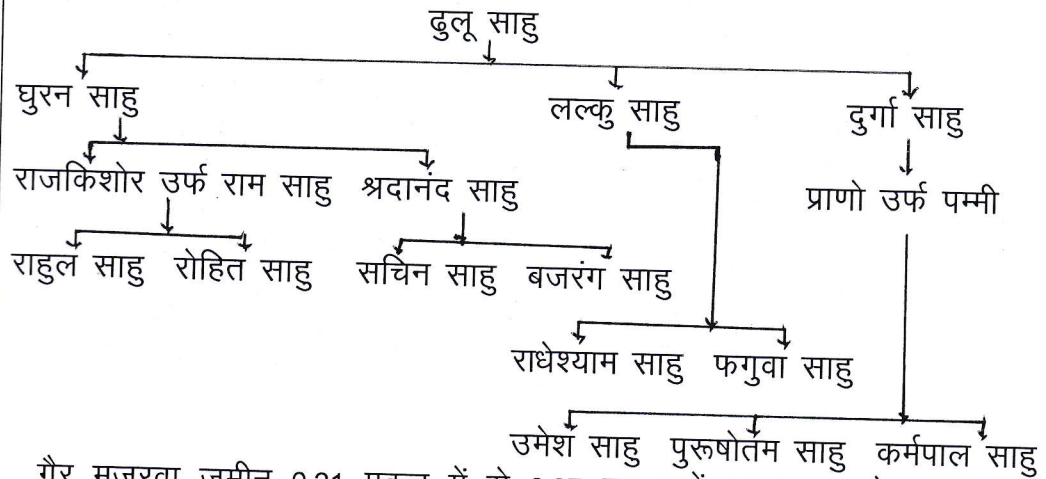


न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

	आदेश वाद सं० एम० ४४/२०२१ धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत। प्रथम पक्ष – सचिन साहु, पिता श्रदानंद साहु बगैरह। बनाम द्वितीय पक्ष – पुरुषोत्तम साहु पिता स्व० दुर्गा साहु बगैरह।	
8/4/22	वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, पालकोट के अप्राथमिकी सं० ०१/२०२२ दिनांक २८/०१/२०२२ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष सचिन साहु उम्र २७ वर्ष पिता श्रदानंद साहु (२) राहुल साहु उम्र २१ वर्ष (३) रोहित साहु उम्र २६ वर्ष दोनों के पिता राजकिशोर साहु सभी ग्राम+थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (१) पुरुषोत्तम साहु उम्र ३५ वर्ष (२) उमेश साहु उम्र ३७ वर्ष (३) कर्मपाल साहु उम्र ३२ वर्ष तीनों के पिता स्व० दुर्गा साहु (४) प्राणो उर्फ पम्मी देवी उम्र ५८ वर्ष पति स्व० दुर्गा साहु सभी ग्राम पालकोट थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मौजा पालकोट स्थित खाता सं० ३३७ प्लॉट सं० ४४७८ रकबा ०.५२ एकड़ भूमि चौहदी पूरब में शिवा साहु का खटाल, पश्चिम में गुमला सिमडेगा मुख्य सड़क, उत्तर में ललकू साहु का निज जमीन, दक्षिण में अन्न साहु का परती जमीन से संबंधित भूमि में मकान में निर्माण करने को लेकर उभय पक्षों के बीच आपसी विवाद है। जिसको लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना है जिसके कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना को लेकर थाना प्रभारी पालकोट के द्वारा उभय पक्षों के बीच शांति बनाये रखने हेतु दं० प्र० सं० की धारा १४४ उक्त वादगत भूमि में लागू करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर ६० दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं० प्र० सं० की धारा १४४ प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, पालकोट से उक्त वादगत भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की मांग किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये हैं जो निम्न प्रकार है:- प्रथम पक्ष की ओर विद्वान अधिवक्त के द्वारा कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के विरुद्ध में धारा १४४ दं० प्र० सं० का कानूनी कार्रवाई की गई है जो न्याय संगत नहीं है। मौजा पालकोट थाना सं० ६३ थाना पालकोट जिला गुमला के खाता सं० ३३४ प्लॉट सं० ४१७८ रकबा ०.५२ एकड़ भूमि को धुरन साहु वो लल्कु साहु वो दुर्गा साहु पिता स्व० दुलू साहु निवासी ग्राम+थाना पालकोट के द्वारा पट्टा सं० १५१४ दिनांक १६/०६/१९८२ में खरीद किया गया है जिसको पट्टा धारी खरीदगी जमीन में दखलकार होकर अंचल कार्यालय पालकोट से दाखिल खारीज कराये है जिसका दाखिल खारिज वाद सं० १६/८५-८६ है और शुद्धि पत्र निर्गत में पट्टाधारी	



का नाम दर्ज है और सरकारी मालगुजारी रसीद कट रहा है।
उपरोक्त खाता, प्लॉट, रकबा 0.52 एकड़ भूमि के सटे 0.21 डी0 गैर मजुरवा परती भूमि को पट्टाधारी को दखल कब्जा में रहा है और पट्टाधारी गैर मजुरवा परती जमीन को आपसी बंटवारा कर लिए थे जो प्रत्येक को 0.07 एकड़ हिस्सा होता था और अपने अपने हिस्सा में दखल कब्जा रहा। पट्टाधारी के वंशज इस प्रकार हैं:-



गैर मजुरवा जमीन 0.21 एकड़ में से 0.07 एकड़ में प्रथम पक्ष के दादा धुरन साहु दखल कब्जा रहा और पुवाल रखा करते थे उनके मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी दखल कब्जा में रहे। दखल कब्जा के आधार पर प्रथम पक्ष गैर मजुरवा परती जमीन 0.07 एकड़ में घर बनाने में आपत्ति किया और घन बनाने नहीं दिया जबकि उसी गैर मजुरवा परती 0.21 एकड़ में से 0.07 एकड़ में द्वितीय पक्ष घर बनाया जा रहा है।

गैर मजुरवा परती जमीन 0.07 एकड़ भूमि में प्रथम पक्ष के दखल कब्जा के आधार पर घर बनाने का कानुनी प्रावधान लागु किया जाय ताकि प्रथम पक्ष घर बना सके। खरीदगी जमीन रकबा 0.52 एकड़ को नापी कराकर बांटवारा करने में द्वितीय पक्ष सहमत नहीं है और प्रथम पक्ष को तुम्हारे पास कागजात है दिखाओं। जबकि खरीदगी जमीन का कागजात द्वितीय पक्ष के पास है।

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष एक ही खानदान के हैं जो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को बोलता है कि बांटवारा की बात करता है जहाँ जाना है जाओ बांटवारा नहीं करेंगे। द्वितीय पक्ष के 0.07 एकड़ भूमि में घर बनाया जा रहा है और प्रथम पक्ष को 0.07 एकड़ में घर बनाने नहीं दिया गया है 0.21 एकड़ परती जमीन का प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का बंटवारा जमीन है इसलिए काम रोका जाय।

प्रथम पक्ष के द्वारा शांति भंग होने की सम्भावना नहीं है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि खरीदगी जमीन रकबा 0.52 एकड़ जमीन को नापी कराते हुए बंटवारा का आदेश एवं गैर मजुरवा परती जमीन 0.21 एकड़ में से 0.07 एकड़ में घर बनाने का कानुनी प्रावधान लागु करने का आदेश एवं द्वितीय पक्ष को स्थिर करने की कृपा किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात:-

1. अंचल पालकोट के द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करते हैं जिसमें वक्तव्य है कि मौजा पालकोट थाना सं0 63 थाना पालकोट जिला गुमला के खाता सं0 334 प्लॉट सं0 4178 रकबा 0.52 एकड़ भूमि को धुरन साहु वो लल्कु साहु वो दुर्गा साहु पिता स्व0 दुलू साहु निवासी ग्राम+थाना पालकोट के द्वारा पट्टा सं0 1514 दिनांक 16/06/1982 में खरीद किया गया है



उक्त वादगत भूमि को खरीदगी के बाद मुआवजा दिया गया और मौखिक रूप से उक्त भूमि का बंटवारा किया गया और कब्जे में आ गए द्वितीय पक्ष 25 साल पहले उक्त भूमि में आवासीय घर का निर्माण किया और रहते आ रहे हैं द्वितीय पक्ष के सदस्यों ने अपने पुराने आवासीय घर को तोड़कर निर्माण और मरम्मत के लिए निर्माण कार्य शुरू किया प्रथम पक्ष बिना किसी तुक या कारण एक स्वलिखित प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कानून का स्थापित सिद्धांत है कि धारा 144 दं०प्र०सं० आवासीय घर में लागू नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कार्यवाही पुलिस की मिली भगत द्वारा किया गया है, क्योंकि अभी भी दूसरे पक्ष के सदस्य उक्त घर में रहते हैं।

निःसंदेह दूसरे पक्ष के सदस्यों के पिता ने अपने जीवन काल में उक्त वादगत भूमि में आवास का निर्माण किया। जिसपर प्रथम पक्ष के सदस्यों का न उक्त वादगत भूमि में कोई तो अधिकार है और न हक है। प्रथम पक्ष जानबूझ कर द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से वाद लाया गया है उक्तवाद खारिज करने योग्य है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष को घर बनाने का कानूनी प्रावधान लागू करने का आदेश करते हुए प्रथम पक्ष को स्थिर करने की कृपा किया जाय।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात:-

1. अंचल कार्यालय पालकोट से निर्गत शुद्धि पत्र की छाया प्रति।

उक्त वाद में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल जवाब, कागजात एवं पुलिस जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादगत भूमि मौजा पालकोट के खाता सं० 334 प्लॉट सं० 4178 रकबा 0.52 एकड़ भूमि से संबंधित है जिसे उभय पक्षों के पूर्वज 1. धुरन साहु 2. लल्कु साहु 3. दुर्गा साहु तीनों के पिता स्व० दुलू साहु ग्राम+थाना पालकोट की खरीदगी भूमि है खरीदगी के पश्चात् तीनों भाईयों के द्वारा बराबर मौखिक बंटवारा कर अपने अपने दखल में आये एवं अपने सुविधा अनुसार मकान बारी बना कर रहते आ रहे हैं एवं उसी बंटवारा के आधार पर उभय पक्ष भी रहते आ रहे हैं।

उक्त वाद प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने पुराने मकान को तोड़कर मरम्मती व निर्माण करने को लेकर लाया गया है। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल जवाब, भूमि संबंधी कागजात से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष उक्त वादगत भूमि का पुनः मापी कर बंटवारा करने हेतु अनुरोध किया है। उक्त वादगत भूमि स्वत्व एवं मापी से संबंधित प्रतीत होता है उभय पक्ष अंचल पालकोट से उक्त वादगत भूमि का मापी कराने के लिए स्वतंत्र है मापी के पश्चात् निर्माण कार्य कर सकते हैं।

अतः वादगत भूमि मौजा पालकोट के खाता सं० 334 प्लॉट सं० 4178 रकबा 0.52 एकड़ भूमि से संबंधित वाद को बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।




अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।